तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो / 11253 / 2000 / बीकानेर रेवन्तराम बनाम भंवरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य** **उपस्थित** श्री नरसा राम जाखड़ अभिभाषक प्रार्थी। श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **निर्णय** दिनांक 14–8–2023 यह निगरानी ई.गा.न.प. क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 की धारा 23(2) के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार को लूणकरणसर के खसरा नंबर 522 / 1 में 29 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नंबर 522 / 2 में 6 बीघा कुल 35 बीघा 19 बिस्वा भूमि सन् 1976 में टी.सी. पर आवंटन की गई थी। जिसका नवीनीकरण सन् 1984–85 तक होता रहा। बाद में उक्त खसरा नंबर के रकबे को डी–कोलोनाईज्ड कर दिया गया। इस रकबे में 8 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी उपखण्ड अधिकारी (उतर), बीकानेर के द्वारा दे दी गई। शेष 27 बीघा रकबा की खातेदारी निगरानीकार को नहीं दी। इस रकबा में खसरा नंबर 522 / 1 में 24 बीघा व खसरा नंबर 522 / 2 की 3 बीघा कुल 27 बीघा भूमि चकों में आने पर चक 14 एल.के.डी के मुरब्बा नंबर 71 / 31 के किला नंबर 3 में 10 बिस्वा, 4 ता 8 में 5 बीघा, 9 में 15 बिस्वा, 11 में 15 बिस्वा, 12 ता 19 में 8 बीघा, 20 में 5 बिस्वा, 22 में 10 बिस्वा, 23 ता 25 में 3 बीघा, रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व मुरब्बा नंबर 71 / 32 में किला नंबर 3 में 15 बिस्वा, 4 ता 7 में 4 बीघा, 14, 15 में 2 बीघा, 16 में 5 बिस्वा, 17 में 10 बिस्वा, रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि चकों में फिट हुई। उक्त रकबा में से मुरब्बा नंबर 71 / 31 की 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि उपखण्ड अधिकारी (उतर), बीकानेर के द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को आवंटन कर दी गई। जिसकी अपील निगरानीकार ने राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 15–7–2000 को खारिज कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो / 11253 / 2000 / बीकानेर रेवन्तराम बनाम भंवरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4— प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि रौही लूणकरणसर के खसरा नंबर 522 / 1 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नंबर 522 / 2 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा वर्ष 1976—77 के लिए टी.सी. पर आवंटन किया गया, जिसका नवीनीकरण बदस्तुर चला रहा है। उक्त रकबा में से खसरा नंबर 522 / 2 में 5 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नंबर 522 / 2 की 3 बीघा कुल 8 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी उपखण्ड अधिकारी (उतर), बीकानेर के द्वारा दिनांक 8—8—1991 को प्रदान कर दी गई थी। जो रकबा भी राज्य सरकार के द्वारा डी—कोलोनाईज्ड हो चुका था, जबकि खसरा नंबर 522 / 1 की 24 बीघा व खसरा नंबर 522 / 2 की 3 बीघा कुल 27 बीघा भूमि चको में आने पर निगरानीकार को पुख्ता आवंटन न करके उक्त रकबा को गैर—निगरानीकार संख्या 1 को चक 14 एल.के.डी. के मुरब्बा नंबर 71 / 31 किला नंबर 4 ता 8, 11 ता 25 रकबा 20 बीघा आवंटन कर दी गई। उनका कथन है कि जो रकबा गैर निगरानीकार संख्या 1 को आवंटन किया गया है। वह रकबा निगरानीकार का टी.सी. आवंटित रकबा है जो किसी भी अन्य को आवंटित नहीं किया जा सकता। परन्तु अदालत मातहत ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए निगरानीकार की अपील खारिज कर दी। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जावें। 5— विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात राजकीय भूमि होने से रेस्पोडेण्ट को आवंटित की गई है तथा अस्थाई आंवटन किसी तरह का कोई अधिकार सृजित नहीं करते हैं । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा न ही कोई क्षेत्राधिकार संबंधी अनियमितता है । अतः यह निगरानी खारिज योग्य है । 6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । 7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, एवं आवंटन अधिकारी, बीकानेर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 30—3—2000 को राजस्थान उपनिवेशन (इ0गा0न0प. उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13—ए के तहत चक 14 एलकेडी की मुरब्बा नंबर 71 / 31 की 20 बीघा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो / 11253 / 2000 / बीकानेर रेवन्तराम बनाम भंवरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनकमाण्ड भूमि का कीमतन आवंटन किया गया । उक्त आवंटन एक विधिसम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया आवंटन था जिसमें आवंटन की सभी शर्ते पूर्ण होने पर आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 30–3–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कि अपीलाण्ट 35 बीघा 19 बिस्वा का काश्तकार है एवं भूमि कब्जे में है और खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार के निर्देश अनुसार भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि में से केवल 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि ही खातेदारी दर्ज की गई तथा शेष अपीलाण्ट के खाते में से काटकर आराजीराज दर्ज कर दी । अतः भूमि अधिवासित होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती । उक्त भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती का पेश किया हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 30–3–2000 निरस्त किया जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2047 में मुरब्बा नंबर 71 / 31 की 20 बीघा राजकीय भूमि दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत 2036 के अनुसार ग्राम 14 एलकेडी की मुरब्बा नंबर 71 / 31 आराजीराज दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी की हैसियत उक्त भूमि पर एक अतिक्रमी की है । जबकि अप्रार्थी को उक्त चक 14 एलकेडी की मुरब्बा नंबर 71 / 31 की 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर उक्त भूमि को प्रार्थी की कब्जे काश्त की नहीं माना एवं न ही भूमि को अधिवासित माना है । उक्त भूमि सिवाय चक आराजी राज दर्ज थी जिसका विधिवत आवंटन अप्रार्थी को किया गया है । उक्त भूमि पर प्रार्थी की किसी प्रकार हैसियत नहीं होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील विधिसम्मत तरीके से खारिज की है। जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है ।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य